



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
स्वावलंबन भवन, प्लॉट न. सी - 11, जी ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051
दूरभाष 022-67531100 / 67531273 /1353
वेबसाइट - www.sidbi.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना (नोटिस)

प्रतिभूत लेनदार का नाम और पता	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा, द्वितीय तल, स्वावलंबन भवन, प्लॉट न. सी - 11, जी ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051
उधारकर्ता / बंधककर्ता का नाम और पता	आशापूरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (एआईएफएल) (मोमई अपेरियल्स लिमिटेड जिसका एआईएफएल के साथ विलय हुआ है सहित) तृतीय तल, पैसिफिक प्लाज़ा, मस्जिद गली ऑफ भवानी शंकर रोड, दादर पश्चिम, मुंबई-400028
गारंटर्स के नाम	हर्षिद जे ठक्कर, दिनेश सी सोढ़ा, हितेश एस पुंजनी और सुरजी गोविंदर्ज ठक्कर
गैर निष्पादित आस्ति होने की तिथि	08/02/2019
मांग सूचना की तिथि	27/03/2019
मांग सूचना के अनुसार कुल देय राशियां	₹ 9,02,07,597.00
बैंक की देयों की राशि	27/03/2019 को ₹ 9,02,07,597.00 और 28/03/2019 से प्रभावी अतिरिक्त ब्याज और अन्य लागत तथा प्रभार
संपत्तियों / स्वामी / बंधककर्ता का विवरण	यूनिट न. 301, 302, 303 एवं 304, तृतीय तल, क्षेत्रफल 1393 वर्ग फुट कार्पेट एरिया, पैसिफिक प्लाज़ा, टी.पी.एस. IV का फाइनल प्लॉट न.570, माहिम जंक्शन, मस्जिद गली, ऑफ भवानी शंकर रोड, दादर (पश्चिम), मुंबई-28
नीलामी की तिथि और समय	01/12/2021 को पूर्वाह्न 1100 से 1500 बजे के बीच तथा बिक्री संपन्न होने तक 15 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार।
ई-नीलामी का पोर्टल	https://sidbi.auctiontiger.net

आरक्षित मूल्य (₹ में)	₹ 4,14,00,000.00 (रुपये चार करोड़ चौदह लाख मात्र)
बयाना जमा राशि (ईएमडी) (₹ में)	₹ 42,00,000.00 (रुपये बयालीस लाख मात्र)
बोलियाँ बढ़ाने की राशि (₹ में)	₹ 10,00,000.00 (रुपये दस लाख मात्र)
दस्तावेज़ जमा करने का पता	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा, द्वितीय तल, स्वावलंबन भवन, प्लॉट न. सी - 11, जी ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051
इच्छुक बोलीकर्ताओं / खरीदारों द्वारा आस्तियों के निरीक्षण की तारीख	तिथि - 24/11/2021; समय -1100 बजे से 1700 बजे तक
ईएमडी एवं दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तारीख	तिथि- 29/11/2021 समय - 1700
ईएमडी का विप्रेषण और खाते का विवरण	लाभार्थी का नाम : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) लाभार्थी खाता संख्या - 37822588607 लाभार्थी बैंक नाम : भारतीय स्टेट बैंक लाभार्थी बैंक शाखा - वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे आईएफएससी कोड - SBIN0001053

(क) बिक्री के लिए विज्ञापित आस्तियों के विवरण सहित इकाई की संक्षिप्त रूपरेखा*

इकाई का नाम	फैक्टरी का पता	उद्योग का प्रकार और उत्पाद	संस्थापित क्षमता	कनेक्टेड पावर लोड	परिचालनरत / परिचालन में नहीं	अदा न की गई देय राशियाँ
आशापूरा इंटीमेटेस फैशन लिमिटेड (एआईएफएल) एवं मोमई अपेरियल्स लिमिटेड जिसका एआईएफएल के साथ विलय हुआ है	यूनिट न. 301, 302, 303 एवं 304 तृतीय तल क्षेत्रफल 1393 वर्ग फुट कार्पेट एरिया, आशापूरा इंटीमेटेस फैशन लिमिटेड के स्वामित्व में पेरिफेरिक प्लाज़ा, माहिम जंक्शन, के टी.पी.एस. IV का फाइनल प्लॉट न.570, मस्जिद गली, ऑफ भवानी शंकर रोड, दादर (पश्चिम), मुंबई-28	वस्त्र (इन्नर वियर्स गार्मेंट्स)	लागू नहीं	लागू नहीं	परिचालन में नहीं	27.03.2019 को ₹ 9,02,07,597/-

* दी गई सूचना सिडबी के पास उपलब्ध रिकार्ड पर आधारित है। सिडबी इसकी शुद्धता की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे स्वयं स्वतंत्र रूप से विवरणों की जाँच कर लें।

(B) बिक्री के लिए उपलब्ध आस्तियाँ

(b) भवन *

क्र.सं.	भवन का ढांचा	क्षेत्रफल	निर्माण का प्रकार	आरक्षित राशि (₹ में)	बयाना जमा राशि (₹ में)
1	यूनिट न. 301, 302, 303 एवं 304 तृतीय तल क्षेत्रफल 1393 वर्ग फुट कार्पेट एरिया, आशापूरा इंटीमटेस फैशन लिमिटेड के स्वामित्व में पेसिफिक प्लाज़ा, माहिम जंक्शन, के टी.पी.एस. IV का फाइनल प्लॉट न.570, मस्जिद गली, ऑफ भवानी शंकर रोड, दादर (पश्चिम), मुंबई-28,	1393 वर्ग फुट (कार्पेट एरिया)	आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग	4,14,00,000.00	42,00,000.00
कुल				4,14,00,000.00	42,00,000.00

* उपलब्ध अभिलेख पर आधारित।

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री के नियम और शर्तें

1. ई-नीलामी ऊपर उल्लिखित दिनांक एवं समय पर संपन्न होगी, जिसमें प्रत्येक बोली की वृद्धि के लिए 15 मिनट बढ़ाया जाएगा और बोली कम से कम ₹ 10,00,000/- बढ़ाई जाएगी।
2. इच्छुक क्रेता पहले से समय लेकर दिनांक 24/11/2021 को 1100 से 1700 बजे के बीच अपने खर्चे पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है। पहले से समय लेने के लिए कृपया श्री सुशांत कुमार सामल, से संपर्क करें (022-67531273 / 67531100 / 7977122813)।
3. बोली लगाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को **29/10/2021** को 1700 बजे या उससे पूर्व विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा, द्वितीय तल, स्वावलंबन भवन, प्लॉट न. सी - 11, जी ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051 स्थित सिडबी के कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे - (1) ईएमडी जमा का प्रमाण, एनईएफटी/आरटीजीएस का यूटीआर नंबर (2) पैन कार्ड/फार्म 60 (3) पते का नवीनतम पता प्रमाण और साथ ही उनकी स्कैन प्रतियाँ भी तैयार रखें, जिन्हें लॉग-इन आईडी और पासवर्ड लेने के लिए (जिनकी आवश्यकता बोली लगाने के लिए होगी) पंजीकरण के समय उस साइट <https://sidbi.auctiontiger.net> पर अपलोड करना होगा,

4. भावी बोलीकर्ता को ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, (पश्चिम एवं मध्य भारत) पता - बी-705, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006, गुजरात, मोबाइल नंबर - 9978591888/9374519754, नाम - श्री चिंतन भट्ट (पश्चिम एवं मध्यम क्षेत्र), ई-मेल - chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. से प्रयोक्ता पासवर्ड लेना होगा, जो उपर्युक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है। पासवर्ड केवल उन्हीं बोली लगाने वालों को दिया जाएगा, जो ई-नीलामी की सभी शर्तों और नियमों को पूरा करेंगे और दिनांक 29/11/2021 को 1700 बजे तक या उससे पूर्व प्राधिकृत अधिकारी के पास वांछित ईएमडी जमा कर चुके होंगे।
5. ई-नीलामी का आयोजन बैंक करेगा और संभावित बोलीकर्ता ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, (पश्चिम एवं मध्य भारत) पता - बी-705, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006, गुजरात, मोबाइल नंबर - 9978591888/9374519754, नाम - श्री चिंतन भट्ट (पश्चिम एवं मध्यम क्षेत्र), ई-मेल - chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. से इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. बोलीकर्ता ऊपर उल्लिखित ईएमडी किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम में माँग ड्राफ्ट / आदाता खाते में देय पे-आर्डर के माध्यम से या एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से खाता संख्या: 37822588607 खाते का नाम : चालू खाता, बैंक : भारतीय स्टेट बैंक, बैंक वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे, खातेदार का नाम : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), आईएफएससी कोड संख्या: SBIN001053 में भुगतान कर सकते हैं।
7. ईएमडी वाले लिफाफे पर उस "संपत्ति का विवरण" लिखा होना चाहिए, जिसके लिए निविदा फार्म जमा किया जा रहा है और साथ ही भेजने वाले का विवरण, अर्थात् "पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर" (भावी बोलीकर्ता का ई-मेल आईडी पूर्ण रूप से आवश्यक है, क्योंकि सभी प्रासंगिक सूचनाएँ और पासवर्ड के आवंटन की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी)। यदि भावी बोलीकर्ता एक से अधिक संपत्ति के लिए बोली लगाना चाहते हैं, तो प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक लिफाफा जमा किया जाए।
8. ईएमडी प्राप्त होने पर भावी बोलीकर्ताओं को ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, (पश्चिम एवं मध्य भारत) पता - बी-705, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद - 380006, गुजरात, मोबाइल नंबर - 9978591888/9374519754, नाम - श्री चिंतन भट्ट (पश्चिम एवं मध्यम क्षेत्र), ई-मेल - chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. से उनके वैध ई-मेल आईडी पर प्रयोक्ता आईडी / पासवर्ड (ई-नीलामी के लिए अनिवार्य) प्राप्त होगा। बोलीकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी होना चाहिए (ई-मेल आईडी इच्छुक बोलीकर्ता के लिए पूर्णतः आवश्यक है, क्योंकि ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, (पश्चिम एवं मध्य भारत) पता - बी-705, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006, गुजरात, मोबाइल नंबर - 9978591888/9374519754, नाम - श्री चिंतन भट्ट (पश्चिम एवं मध्यम क्षेत्र) ई-मेल आईडी chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा) से सभी प्रासंगिक सूचनाएँ और आईडी एवं पासवर्ड के आवंटन की सूचना ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

9. यदि उधारकर्ता/बंधकदाता/गारंटर ई-नीलामी की तारीख को या उससे पूर्व पूरी राशि अदा कर देते हैं, तो आस्तियों की बिक्री नहीं की जाएगी और बोलीकर्ताओं को आवश्यक संदेश भेजा जाएगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा, द्वितीय तल, स्वावलंबन भवन, प्लॉट न. सी - 11, जी ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051 **Phone no: 022-67531100/ 67531273** के पास निविदा फार्म सहित ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख **29/11/2021** को 1700 बजे तक है।
11. किसी भी कारणवश देरी से प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. बैंक को अधिकार है कि वह बिक्री की पुष्टि से पूर्व कोई या सभी निविदाएँ/बोलियाँ स्वीकार या रद्द कर दे और बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री रद्द कर दे।
13. जिन इच्छुक बोलीकर्ताओं ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी बयाना जमानत राशि **29/11/2021** को अपराह्न 1700 बजे तक अथवा उसके पूर्व जमा कर दी है, वे ई-बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त संपत्ति की ई-नीलामी ऊपर उल्लिखित तारीख व समय पर ही आयोजित की जाएगी, जिसमें बोलीकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली लगवाई जाएगी। बोलीकर्ता प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लिखित 'बोली की वृद्धिशील राशि' के गुणकों में अपने प्रस्ताव में वृद्धि करेंगे। यदि बोली ई-नीलामी के अंतिम 15 मिनटों में की जाएगी, तो ई-नीलामी के बंद होने का समय 15 मिनटों के लिए स्वतः बढ़ जाएगा (प्रत्येक 15 मिनटों के असीमित विस्तारों की अधिकतम सीमा के अधीन)। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर जो बोलीकर्ता अधिकतम बोली राशि (जो आरक्षित मूल्य से कम नहीं होगी) प्रस्तावित करेगा, उसे सफल बोलीकर्ता घोषित किया जाएगा और इस आशय की सूचना जारी की जाएगी, बशर्ते प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार उसके लिए अनुमोदन प्रदान करे।
14. नीलामी के अंत में सफल बोलीकर्ता उसी दिन अथवा बोली के उसके पक्ष में संपन्न होने के अधिकतम अगले कार्य-दिवस तक बोली राशि की 25% राशि (पहले से जमा बयाना जमानत राशि को मिलाकर) का भुगतान करेगा। क्रेता शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तारीख के 15 दिन के भीतर अथवा क्रेता और प्रतिभूत लेनदार के मध्य लिखित सहमति से विस्तारित अवधि के भीतर किंतु हर हाल में अधिकतम तीन माह के भीतर करेगा।
15. यदि सफल बोलीकर्ता भुगतान करने में चूक करेगा, तो ऐसी स्थिति में बोलीकर्ता की पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति एक बार फिर से नीलाम की जाएगी। चूक करने वाले बोलीकर्ता का उपर्युक्त संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। चूँकि उक्त बिक्री सिडबी की पुष्टि के अधीन होगी, अतः प्रस्ताव खुले समझे जाएँगे।
16. संपत्ति 'जो है, जहाँ है', 'जो है, जैसा है' तथा 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएगी।

17. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार आस्तियों/संपत्तियों पर सिडबी के अलावा किसी का कोई अन्य प्रभार नहीं है। किंतु बोली प्रस्तुत करने से पहले इच्छुक बोलीकर्ता ऐसी भारग्रस्तता, दावों, अधिकारों, देयताओं आदि के बारे में अपनी ओर से निष्पक्ष जाँच-पड़ताल कर लें और इस सब के बारे में स्वयं आश्वस्त हो लें।
18. प्रस्ताव के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर यदि उपर्युक्त शर्तों में कोई संशोधन/सुधार/कमी करना आवश्यक होगा, तो सिडबी उसके लिए स्वतंत्र होगा। यदि आस्तियों की खरीद के लिए किसी क्रेता से आस्थगित आधार पर भुगतान का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, और उसके बाद सिडबी को क्रेता के बैंकर से असंतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होती है अथवा किसी अन्य वैध कारण से सिडबी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्ताव रद्द/संशोधित कर दे।
19. इस बिक्री के फलस्वरूप उधारकर्ता/गारंटर्स के विरुद्ध ऋण वसूली अधिकरण मुंबई में और/अथवा सिडबी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वसूली प्रमाणपत्र पर कार्यवाही करने संबंधी सिडबी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
20. बिक्री की जाने वाली संपत्तियों के संबंध में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, भारग्रस्तता, संपत्ति कर अथवा अन्य सरकारी देयताओं या किसी अन्य के प्रति देयताओं के लिए प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार उत्तरदायी नहीं होंगे।
21. सफल बोलीकर्ता नामांतरण के लिए देय सभी प्रभार/कर/दरों का वहन करेगा। इसमें स्टांप शुल्क, पंजीकरण प्रभार, अन्य अधिभार, आदि और अन्य सभी ज्ञात/अज्ञात देयताएँ, व्यय, संपत्ति कर तथा बेची गई संपत्तियों / आस्तियों पर सरकार अथवा किसी अन्य पक्षकार के प्रति देयताएँ शामिल हैं।
22. इच्छुक बोलीकर्ता को चाहिए कि वह बोली प्रस्तुत करने से पहले बैंक के प्रभार के अलावा, संपत्ति/क्षेत्रफल तथा उसके भार -विस्तार एवं संबंधित विवरणों के बारे में अन्य प्राधिकारियों से अलग से पूछताछ करे और स्वत्वाधिकार संबंधी दस्तावेजों की जाँच कर संपत्ति के स्वत्वाधिकार की सीमा, अन्य सांविधिक देयताओं तथा संपत्ति कर की बकाया राशि के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के बारे में किसी प्रकार के दावे, संपत्ति पर भारग्रस्तता तथा अन्य किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
23. बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्तियों/आस्तियों के संबंध में कोई अनुमति/लाइसेंस, अनुमोदन आदि प्राप्त करने अथवा उक्त संपत्तियों/आस्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार की देयता के निपटान के संबंध में सिडबी/प्राधिकृत अधिकारी कोई दायित्व नहीं लेता है। सफल बोलीकर्ता/क्रेता को संपत्तियों के बारे में संबंधित प्राधिकारियों से स्वयं और अपने खर्च पर आवश्यक अनुमोदन/लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
24. यह बिक्री प्रतिभूत लेनदार अर्थात् सिडबी की पुष्टि के अधीन है।
25. आरक्षित मूल्य से कम की कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। सशर्त प्रस्ताव वाली बोलियाँ अवैध मानी जाएँगी।

26. निविदा/बोली जमा करने के बाद प्रस्ताव में कोई बदलाव/संशोधन करने संबंधी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार लगाई गई बोली न निरस्त की जा सकेगी, न वापस ली जा सकेगी। किसी बोलीकर्ता को प्रदत्त प्रयोक्ता आइडी से लगाई गई सभी बोलियाँ उसी बोलीकर्ता द्वारा लगाई गई मानी जाएँगी।
27. खरीद के बाद क्रेता उक्त स्थल पर किसी ऐसी वस्तु का विनिर्माण नहीं करेगा, जिसे समय-समय पर भारत सरकार ने खतरनाक/प्रतिबंधित घोषित किया हो।
28. बोलीकर्ताओं को अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए। यह उनके अपने हित में है। भावी अर्ह बोलीकर्ता ई-नीलामी की तारीख से पहले ई-नीलामी के बारे में ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, (पश्चिम एवं मध्य भारत) पता - बी-705, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006, गुजरात, मोबाइल नंबर - 9978591888/9374519754, नाम - श्री चिंतन भट्ट (पश्चिम एवं मध्यम क्षेत्र), ई-मेल - chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए न तो अधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड ई-नीलामी एजेंसी उत्तरदायी होंगे और इच्छुक बोली लगाने वालों को सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित हैं।
29. उच्चतम/सफल बोलीकर्ता के मामले में बयाना जमानत राशि समायोजित की जाएगी। असफल बोलीकर्ताओं के मामले में यह ई-नीलामी के 7 दिन के भीतर लौटा दी जाएगी। बोलीकर्ता किसी ब्याज, लागत, व्यय तथा अन्य प्रभार (यदि हों) का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।
30. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा, जिस नाम से निविदा/बोली प्रस्तुत की गई होगी। बोलीकर्ता के नाम परिवर्तन / प्रतिस्थापन से संबंधित किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
31. यह माना जाएगा कि सभी बोलीकर्ताओं ने बिक्री की शर्तें पढ़कर समझ ली हैं और वे उससे आबद्ध हैं।
32. प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि वह प्रस्ताव में और अधिक सुधार के लिए अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता से मोल-भाव करे, ताकि जनता के धन की अधिकाधिक वसूली की जा सके।
33. नीलामी सिडबी के प्राधिकृत अधिकारी और इस प्रयोजन से सिडबी द्वारा नियुक्त किसी नीलामी एजेंसी के पर्यवेक्षण में संपन्न होगी। यदि कोई विवाद होंगे, तो केवल डीआरटी मुंबई न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
34. यदि ई-नीलामी का कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तारीख के पहले निरस्त होता है, तो उसकी सूचना केवल सिडबी, मुंबई विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा कार्यालय के सूचना-पट्ट पर ही प्रदर्शित की जाएगी।
35. यह प्रकाशन उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटीकर्ताओं के लिए 30 दिनों का नोटिस भी है।
36. यहाँ प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत उक्त शब्दों व अभिव्यक्तियों का है।

37. अधिक विवरण अथवा किसी सहायता और (जिनके पास इंटरनेट सुविधा न हो) ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने संबंधी सहायता के लिए कृपया श्री सुशांत कुमार सामल, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा, द्वितीय तल, स्वावलंबन भवन, प्लॉट न. सी - 11, जी ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051 (022-67531273 / 67531100 / 7977122813) अथवा सेवाप्रदाता श्री चिंतन भट्ट (पश्चिम एवं मध्य भारत), ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए/801, वाल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006, Mobile No. - 9978591888/9374519754, नाम - श्री चिंतन भट्ट (पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र), ई-मेल - chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से संपर्क करें।

हस्ता/-

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

स्थान: विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा मुंबई

दिनांक: 13/11/2021